कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

महत्वपूर्ण / तत्काल

क्रमांक–193 / 110 / आउशि / बजट / 2024 भोपाल, दिनांक 31.01.2025

प्रति,

1. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
   कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,
   मध्यप्रदेश।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   भोपाल,जबलपुर,रीवा,इंदौर,ग्वालियर,सागर,उज्जैन,
   मध्यप्रदेश

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत केन्द्रीयकृत (ग्लोबल) बजट / आवंटित बजट का समय–सीमा में आहरण एवं भुगतान के संबंध में।

संदर्भ– (1) इस कार्यालय का पत्र कमांक 643 / 110 / आउशि / बाजट / 24024 दिनांक 08.04.2024 एवं
(2) पत्र कमांक 921 / 110 / आउशि / बजट / 24, दिनांक 09.05.2021 तथा
(3) पत्र कमांक 4037 / 110 / आउशि / बजट / 24, दिनांक 19.12.2024

(1) उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत केन्द्रीयकृत (ग्लोबल) बजट अन्तर्गत वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष मद अन्तर्गत राशि के आहरण एवं भुगतान हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं में जैसे :– 6916–गांव की बेटी, 5476–प्रतिभा किरण योजना, 7043–अतिथि विद्वानों का मानदेय भुगतान, 4699–अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तके–स्टेशनरी का प्रदाय, योजना में भी ग्लोबल बजट है। अतः इन योजनाओं में भी नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार समय–सीमा में संबंधितों को राशि का आहरण एवं भुगतान हेतु निर्देश जारी किये गये।

(2) ग्लोबल बजट के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर बजट आवंटन जारी किया गया है। ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तथा IFMIS Portal Report अनुसार यह प्रदर्शित हो रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का अभी तक आहरण एवं भुगतान नहीं किया गया है। संदर्भित पत्रों द्वारा स्मरण पत्र जारी करने तथा वीडियो कॉफ्रेसिंग

में भी बार–बार निर्देश देने के पश्चात भी आवंटित बजट राशि/ग्लोबल बजट राशि का समय–सीमा में नियमानुसार आहरण एवं भुगतान नहीं किया जाना, यह स्थिति उचित नहीं है।

(3) अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी अपने DDO की IFMIS निकालकर चेक करें तथा विभिन्न योजनाओं/बजटशीर्षो में आवंटित बजट अथवा ग्लोबल बजट का तत्काल नियमानुसार आहरण एवं भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे। लंबित देयता तथा राशि की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में IFMIS अन्तर्गत आपके DDO Code में उपलब्ध शेष राशि बी.सी.ओ. कोड 3802 में तत्काल समर्पित की जावे।

(निशांत वरवड़े)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 194 /110/आउशि/बजट/2024 भोपाल, दिनांक 31.01.2025

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, समस्त संबंधित शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश–संबंधित योजनाओं में आवंटित राशि के नियमानुसार आहरण एवं भुगतान करने संबंधी समीक्षा करें।

31.01.25

आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश